

प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है जो भारत तथा विदेशों में अपने 19 कार्यालयों तथा बेंगलूर, अहमदाबाद और पुणे में अध्ययन केन्द्रों के जरिए भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वित्तपोषण, सुगमीकरण तथा संवर्द्धन करता है। बैंक निम्नलिखित पात्रता वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है:

पदों की संख्या

पद/ग्रेड/स्केल	आरक्षित पदों की संख्या		कुल
	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	सामान्य	
प्रशासनिक अधिकारी (कप्र I)	1	4	5

दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद होरिजेंटल है तथा आरक्षित पद उक्त दिए गए 5 पदों में से ही है।

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

पद	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
प्रशासनिक अधिकारी (सचिवीय कार्य के लिए)	अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक होना चाहिए तथा उसे बदलती प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता के साथ कम्प्यूटर की भी जानकारी होनी जरूरी है।	सचिवीय कार्य में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव जॉब प्रोफाइल में अन्य कार्यों के साथ-साथ समय-समय पर लिखित तथा मौखिक संप्रेषण का प्रबंध करना, फाइलों को संभालना, मेलिंग सूची तैयार करना/अद्यतन करना, मेल प्राप्त करना, प्राप्त एवं प्रेषित मेल का रिकॉर्ड रखना, रिसेप्शन कार्य, सूचना प्रबंधन तथा उसे व्यवस्थित करना, संगठित करना, कार्यपालक के समय का प्राथमिकता आधार पर प्रबंध करना, यात्रा प्रबंधन, पत्र, ई-मेल तथा नोट तैयार करना आदि शामिल हैं। अभ्यर्थी को अंग्रेजी बोलने तथा संप्रेषण कौशल में दक्ष होना चाहिए। विदेशी भाषा ज्ञान को अलग से वरीयता दी जाएगी। आशुलिपि तथा टाइपिंग ज्ञान वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

- कृपया यह नोट कर लें कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा संख्यात्मक अंकों की जगह पर ग्रेड/रेटिंग दी गई है (जैसे सी जी पी ए/जी पी ए/अन्य कोई प्रकार), तथा उनके प्रमाण पत्र/अंकपत्र में समतुल्य कुल प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उन्हें अपनी संस्था के प्रमुख/विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी ग्रेड/रेटिंग को प्रतिशत में रूपांतरित करने की स्पष्ट पद्धति (रूपांतरण फार्मूला) तथा संख्यात्मक अंकों के समकक्ष रेटिंग/ग्रेड के बारे में पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विश्वविद्यालय/संस्थान सरकार/ए आई सी टी ई (AICTE) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पत्राचार या अंशकालिक रूप में पूर्ण किये गए पाठ्यक्रम पात्र नहीं हैं, जब तक कि विज्ञापन में इसका अन्यथा उल्लेख न हो।
- अभ्यर्थी को उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल तथा कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष होना चाहिए।

आय पात्रता

पद	1 अप्रैल, 2018 को अधिकतम आयु, आयु में छूट सहित (वर्ष)		1 अप्रैल, 2018 को संबंधित क्षेत्र में वांछित न्यूनतम अनुभव	वेतनमान (₹)
	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य		
प्रशासनिक अधिकारी (कप्र I)	43	40	3 वर्ष	23700-980-30560-1145-32850-1310-13020

- केवल वे व्यक्ति जो 40% से ज्यादा शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन्हें विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार विकलांग व्यक्ति (दिव्यांग) के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाएगा;
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) को अपनी विकलांगता के प्रमाण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) को आयु में 10 वर्ष की तथा 01.01.80 से 31.12.89 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहने वाले अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया के किसी भी चरण में अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उस जिला न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया गया हो जहां वह सामान्यतः रहता था/रहती थी। अथवा इस संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो इस बात की पुष्टि करे कि अभ्यर्थी 01.01.80 से 31.12.89 के दौरान सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर में रहता था/रहती थी।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, 01.01.80 से 31.12.89 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में रहने वाले व्यक्तियों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आयु में छूट प्रदान की जाती है। दिनांक 08 अप्रैल, 2013 को जारी डीओपीटी परिपत्र संख्या 36034/2/2013 के अनुसार अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा में ग्रुप ए (अर्थात अधिकारी संवर्ग) के लिए

- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र में इस कलॉज का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर वर्ग का नहीं है, जिसे भारत सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर कलॉज वाला ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से एक वर्ष पहले जारी होना चाहिए तथा आवेदन की अंतिम तिथि **28 अप्रैल, 2018** तक वैध होना चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केन्द्र सरकार की सूची/अधिसूचना से अक्षरशः मिला होना चाहिए।
- अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और/अथवा यदि उनकी जाति भारत सरकार की केन्द्रीय सूची में नहीं है तो उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में उन्हें अपने को आवेदन फार्म में सामान्य श्रेणी में दर्शाना होगा।
 - चयनित उम्मीदवार नियुक्ति के समय वेतन के अलावा बैंक में लागू नियमों के अनुसार तत्संबंधी ग्रेड में देय भत्ते, मानदेय तथा अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। उपलब्धता के आधार पर आवास दिया जा सकता है या विकल्प के रूप में लीज पर आवास लेने की सुविधा उपलब्ध है। आवास ऋण, वाहन ऋण तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर ऋण योजनाएं भी उपलब्ध हैं।
 - अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अवश्य करें। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपनी डिग्री, जाति तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति प्रस्तुत करनी पड़ सकती है। अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
 - केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो वांछित उम्र, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अनुभव शर्तों पूरी करते हों। वांछित योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
 - इच्छुक अभ्यर्थी **ऑनलाइन आवेदन फार्म** में ही आवेदन करें। आवेदन फार्म बैंक की वेबसाइट पर 'कॅरियर' सेक्शन में उपलब्ध रहेगा। **किसी अन्य प्रारूप में भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा** तथा पात्र मानदंडों को पूरा न करने के कारण उसे बैंक द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। **बैंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।** किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।
 - आवेदन शुल्क एवं सूचना प्रेषण प्रभार सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए (गैर-वापसी योग्य) ₹ 600/- तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹ 100 (सूचना प्रेषण प्रभार) होगा।
 - चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। पात्र (शॉर्टलिस्टेड) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तारीख एवं समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
 - बैंक बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया के प्रावधानों में परिवर्तन/संशोधन/उलटफेर/निरस्त करने का अधिकार रखता है। बैंक आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई सूचना दिए अथवा कारण बताए बिना चयन प्रक्रिया को रद्द करने/उसे सीमित करने/घटाने/बढ़ाने का भी अधिकार रखता है।
 - अयोग्य तथा गैर-चयनित अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया की कोई अंक तालिका उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। पात्रता, चयन प्रक्रिया, पात्रता के संबंध में जांच प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, निर्धारण, चयन प्रक्रिया में न्यूनतम अहर्ता मानकों के निर्धारण, रिक्रियों की संख्या, परीक्षा परिणाम की सूचना आदि सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा वह अभ्यर्थियों के लिए बाध्य होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
 - चयनित अभ्यर्थियों को बैंक में ज्वाइनिंग के समय न्यूनतम 5 वर्ष बैंक की सेवा करने हेतु ₹ 3 लाख के व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे।
 - चयनित अभ्यर्थियों को बैंक के मुंबई कार्यालय या बैंक की आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर तैनात किया जा सकता है।
- कदाचार/अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई**
- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करते समय कोई भी गलत, असत्य या फर्जी जानकारी न दें तथा किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं। परीक्षा, साक्षात्कार अथवा तत्पश्चात चयन प्रक्रिया के समय यदि अभ्यर्थी को -
- अनुचित साधन का प्रयोग करने, अथवा
 - किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने, अथवा
 - परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान गलत आचरण अथवा परीक्षा संबंधी सामग्री अथवा उससे संबंधित कोई भी जानकारी का पूर्णतः अथवा अंशतः किसी भी रूप में अथवा किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मशीनी रूप से किसी भी उद्देश्य से प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुनः उद्धरण, प्रसारण, संग्रहण करने, अथवा
 - अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अथवा
 - अपनी उम्मीदवारी के लिए अनुचित सहयोग प्राप्त करने, अथवा
 - परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार संबंधी किसी तरह के अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने का दोषी पाया जाता है तो अभ्यर्थी पर आपराधिक अभियोग लगाए जा सकते हैं तथा उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है,
- बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा में भाग लेने पर एक निश्चित अवधि हेतु अथवा स्थायी रूप से अभ्यर्थी पर रोक लगाई जा सकती है।
 - यदि उसने बैंक पहले ही ज्वाइन कर लिया है तो उसकी सेवा समाप्त की जा